

(नियम 11 देखिये)
कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग, जिला - धमतरी (छ.ग.)
-:: संशोधित अधिसूचना ::-

कमांक / भू-अर्जन / 2017

धमतरी, दिनांक 24/07/2017

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल
1			

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28.07.2017 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत - सोनपैरी में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

कलेक्टर जिला धमतरी
एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग